



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
CRIMINAL MISC. BAIL APPLICATION No. - 45404 of 2025

Altaf Khan

.....Applicant(s)

Versus

State Of U.P. And 3 Others

.....Opposite
Party(s)

Counsel for Applicant(s) : Noor Muhammad, Yogesh Kumar
Srivastava

Counsel for Opposite Party(s) : G.A.

Court No. - 65

HON'BLE DR. GAUTAM CHOWDHARY, J.

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।
2. कुछ समय तक तर्क होने के पश्चात् जब न्यायालय द्वारा ossification test के अनुसार पीड़िता की उम्र के बारे में पूछा गया तो आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अवगत कराया कि अभी तक पीड़िता का ossification test नहीं हुआ है।
3. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के इस कथन पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त के दृष्टिगत संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि मु०अ०सं० 127 सन 2025 अंतर्गत धारा 137(2), 87, 65(1) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4 (2) पाक्सो एक्ट तथा धारा 3(2)(v) एस.सी./एस.टी. एक्ट, थाना टुण्डला, जिला फिरोजाबाद की पीड़िता का ossification test यदि अभी तक संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित बोर्ड से नहीं कराया गया है तो उसका ossification test आज से 1 माह के अंदर कराया जाय तथा उक्त टेस्ट कराने के पश्चात या यदि पूर्व में ही ossification test कराया गया हो तो संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाता है कि उक्त ossification report इस न्यायालय में अगली नियत तिथि तक उपलब्ध कराया जाय।
5. रजिस्ट्रार कंप्लायंस को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश से, संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को 48 घंटे के अंदर अवगत कराया जाय।
6. इस आदेश की प्रतिलिपि रजिस्ट्रार कंप्लायंस एवं विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को अविलंब प्रदान की जाय।
7. इस वाद को दि० 12.03.2026 को नवीन वाद सूची में सूचीबद्ध किया जाय।
8. सूचनाकर्ता को अग्रिम नियत तिथि तक वापस होने वाली नोटिस भी निर्गत किया जाय।

(Dr. Gautam Chowdhary, J.)

January 12, 2026
CP.sahani